न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 115 / 2025 निर्णय दिनांकः 23.03.2026
ऑनलाईन नंबर 2025 / 233

केशुराम पुत्र भींवाराम जाति नाई निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. भींवाराम पुत्र पूर्णाराम 2. जेठीदेवी पत्नि भींवाराम 3. मेघाराम 4. हडमानाराम 5. ओमप्रकाश 6. मोहिनी 7. गीता पुत्र/पुत्रिया भींवाराम 8. श्रवणराम 9. पुरखाराम 10. सरोज माता प्रमेश्वरी जाति नाई निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 11. मेथीदेवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ 13. उप पंजीयक पजीयन कार्यालय सूडसर/श्रीडूंगरगढ

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1,2,5
3. श्री के. के पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4
4. श्री मदन गोपाल स्वामी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 11
5. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 8 ता 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही.
6. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 151 सीपीसी

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू में से 1/4 हिस्सा पारिवारिक विभाजन में प्रार्थी के हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा एवं विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा— काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के खातेदारी हिस्सा की कब्जा—काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना कारण प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी ने ऐसा करने बैंक [illegible] लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। प्रार्थी ने अप्राथी [illegible] 11.06.2025 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध घोषणा विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनांक 11.06.2025 को वादग्रस्त खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और प्रार्थी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कब्जा काश्त होने एवं प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त खातेदारी के होने व अप्रार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2025 की इनकारी से प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक प्रार्थी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेत में आये हुए प्रार्थी के हक से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक 11.06.2025 को धमकी दी और अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे । और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब प्रार्थी ने दिनाँक 11.06.2025 को ही प्रार्थी संख्या 1 ता 11 से प्रार्थी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व पूरे खेत को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थी को दिनाँक 11.06.2025 को अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का कॉज ऑफ एक्शन उत्पन हो गया है। प्रार्थी का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद निरन्तर रुप से चला आ रहा है। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी को दिनाँक 11.06.2025 प्राप्त हो गया है । अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 प्रार्थी के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 15 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 द्वारा प्रार्थी के खेतों विक्रय कर दिया तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। प्रार्थी का वादगत खेतो में हक हिस्सा जन्म से ही पैतृक एवं सहदायिकी के आधार पर बनता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज खातेदारी का फायदा उठाकर खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर में से प्रार्थी का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है जो प्रार्थी के हक अधिकारो के मुकाबले शून्य है । प्रार्थी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देंगे, [illegible] कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी सं[illegible] 1 [illegible] 11 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा [illegible] खेतों में प्रा[illegible] हिस्सा निहित होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए प्रार्थी द्वारा [illegible] के अनुतोष का अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी प्रा[illegible] के कब्जे काश्त से इनकार कर रहे है प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल करने पर आमन्दा हो रहे है तथा प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकिया दे रहे है इसलिए प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । अप्रार्थी वादगत खेतों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

भूमि का रकबा विक्रय, हस्तान्तरण करने की फिराक व कोशिश में है। अगर अप्रार्थी अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से वंचित हो जायेंगे। प्रार्थी का प्रथमदृष्ट्या पारिवारिक विभाजन व कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी प्रार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है व प्रार्थी को उसके हिस्से में प्रार्थी का जायज हिस्सा हड़प करने की धमकिया दे रहे है, अगर अप्रार्थी प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला अहम नुकशान होगा, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का सिद्धात भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी के कब्जे काश्त में प्रवेश न करे किसी प्रकार का हस्तांतरण, बेय मुन्तकिल की कार्यवाही नहीं करें जिससे कि प्रार्थी के हक–अधिकारों पर कुठाराघात होता हो तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो तथा दावे के निस्तारण तक वादगत रकबा के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 5 व 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 8 ता 10 की ओर से रजिस्टर्ड एडी नोटिस तामिल उपरान्त भी कोई असालतन व वकालतन हाजिर नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 व 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 5 व 11 के अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। जिस पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 11 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के परिवार की सदस्य नही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 तादादी 2.700 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की भूमि रही हैं। वादगत खेतों का आज दिनांक तक कोई मौखिक या लिखित विभाजन नही हुआ है। खेत खसरा नम्बर 370 तादादी 2.700 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 व खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का वादगत खेतों में ना तो 1/4 हिस्सा बनता हैं ना ही प्रार्थी की कोई कब्जा काश्त रही है। प्रार्थी का वादगत खेतों पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी ने वादगत खेतों में कोई सुधार कार्य करवाया है। प्रार्थी वादगत खेतों का खातेदार ही नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विभाजन करवाने का अधिकार नही हैं। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से किसी प्रकार की कोई बातचीत नही की ना ही दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

11.06.2025 को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिला हैं। प्रार्थी को वादगत खेत खसरान के संबंध में घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं ना ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार हैं। दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी हम अप्रार्थीगण से मिला ही नही हैं ऐसे में हम अप्रार्थीगण द्वारा इंकार करने व धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेतों की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रही है ऐसे में प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल कर देने की धमकियां देने का सवाल ही नही पैदा होता। प्रार्थी ने वादरचना करने के आश्य से मनघड़ंत तथ्यों का वर्णन किया है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध ना तो वादाधार प्राप्त हैं ना ही वादहेतू प्राप्त है। वादगत खेतों में ना तो प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हैं ना ही वादगत खेतों का पारिवारिक विभाजन किया हुआ है। हम अप्रार्थीगण किसी के भी बहकावे में नही आये हुए हैं। हम अप्रार्थीगण को वादगत खेतों पर चले आ रहे ऋण को चुकता करने व परिवार की अन्य जायज जरूरतों के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार की सहमति से दिनांक 10.06.2025 को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 में से 3219/3500 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय करके कब्जा सूपूर्द कर दिया है। खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 11 की चली आ रही है। प्रार्थी का वादगत खेतों में कोई कब्जा काश्त नही हैं। प्रार्थी को वादगत खेतों के संबंध में विभाजन करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त व टाईटल नही रहा हैं ऐसे में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेतों में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिससे हम अप्रार्थीगण को असुविधा हो रही हैं एवं प्रार्थी द्वारा गलत अनुतोष की मांग करने से अप्रार्थीगण को अहम नुकसान होना संभव है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेतों के ऋण को चुकता करने के लिए व परिवार की जायज जरूरतों की पुर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय की है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि की सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऋण चुकता करने के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थीगण की संतानो ने रूपयें चुकता करने से इंकार कर दिया था । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण का भरण पोषण तक करने से इंकार कर दिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने जायज जरूरतों के लिए अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि विक्रय की हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के हिस्सा की भूमि विक्रय नही की है। प्रार्थी ने अपनी जिम्मेवारी निभाने से इंकार कर दिया और अब भूमि ऋणमुक्त होते ही नाजायज हिस्सा की मांग करके यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेतों की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं इसलिए ना तो प्रार्थी को वादाधार प्राप्त हैं ना ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी ने नाजायज हिस्सा की मांग करके प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खिलाफ कानून होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेतों में किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी को कब्जा छुड़ाने की धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होती है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से गलत अनुतोष प्राप्त करना चाहता हैं जिसका प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अधिकारी नही है। प्रार्थी का वादगत खेतों में ना तो कब्जा हैं ना ही चाहा गया हक हिस्सा हैं इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत खेत खसरा नम्बर 370 का रिकार्डेड काबिज खातेदार हैं यदि प्रार्थी अपने गलत मंशुबों में सफल हो गया तो अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी व अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेतों की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेतों का ऋण चुकता करने के लिए व अपने परिवार की जायज जरूरतों के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से 3219/3500 हिस्सा भूमि दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय की थी एवं उसी समय बिक्रीत भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 11 को संभला दिया था । हम अप्रार्थीगण के चार पुत्र संतान ओमप्रकाश, केशुराम, मेघाराम, हड़मान व तीन पुत्री संतान परमेश्वरी, मोहनी, गीता पैदा हुई है। हम अप्रार्थी की संतान केशुराम, मेघाराम, हड़मान आपस में मिले हुए हैं जो हम अप्रार्थीगण का भरण पोषण भी नही कर रहे है और वादगत खेतों के ऋण को चुकता करने से भी इंकार कर दिया था ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेतों में से कुछ भूमि विक्रय करके शेष भूमि को निलाम होने से बचाया है। सहदायिकी कानून के अनुसार भी प्रार्थी का 1/4 हिस्सा नही बनता हैं । प्रार्थी ने कभी भी हम अप्रार्थी से सहदायिकी हिस्सा की मांग नही की हैं। अगर प्रार्थी का कोई हिस्सा बनता भी हैं तो वह वादगत खेत खसरा नम्बर 370 में प्राप्त कर सकता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के हिस्सा की भूमि विक्रय नही की है प्रार्थी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के नाजायज हक हिस्सा के अनुतोष की मांग की हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत खेत खसरा नम्बर 370 का रिकार्डेड काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत खेत खसरा नम्बर 370 का True Owner हैं। कानूनन प्रार्थी को True Owner के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। प्रार्थी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के नाजायज हिस्सा की मांग की हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र Barred By Law हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध Cause Of Action प्राप्त नही हैं इसलिए प्रार्थी का दावा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 C.P.C. के प्रावधानो के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 11 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के परिवार की सदस्य नही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 [illegible] नम्बर 370 तादादी 2.700 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरग[illegible] की [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की भूमि रही हैं। [illegible] खेतों का आ[illegible]नाक तक कोई मौखिक या लिखित विभाजन नही किया हुआ है। [illegible] 370 तादादी 2.700 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 व खेत खसरा नम्बर 170 [illegible] 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी का वादगत खेतों में ना तो 1/4 हिस्सा बनता हैं ना ही प्रार्थी की कोई कब्जा काश्त रही है। प्रार्थी का वादगत खेतों पर कभी भी कब्जा काश्त नही रही हैं ना ही प्रार्थी ने वादगत खेतों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कोई सुधार कार्य करवाया है। प्रार्थी वादगत खेतों का खातेदार ही नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विभाजन करवाने का अधिकार नही हैं। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 5 से किसी प्रकार की कोई बातचीत नही की ना ही दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 5 से मिला हैं। प्रार्थी को वादगत खेत खसरान के संबंध में घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं ना ही उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार हैं। दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी मुझ अप्रार्थी से मिला ही नहीं हैं ऐसे में मुझ अप्रार्थी द्वारा इंकार करने व धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेतों की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रही है ऐसे में प्रार्थी को वादगत खेतों से बेदखल कर देने की धमकियां देने का सवाल ही नही पैदा होता। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध ना तो वादाधार प्राप्त हैं ना ही वादहेतू प्राप्त है। वादगत खेतों में ना तो प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा हैं ना ही वादगत खेतों का पारिवारिक विभाजन किया हुआ है। मैं अप्रार्थी किसी के भी बहकावे में नही आया हुआ हूं। वादगत खेतों के ऋण को चुकता करने व परिवार की अन्य जायज जरूरतों के लिए रूपयों की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार की सहमति से दिनांक 10.06.2025 को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 में से 3219/3500 हिस्सा भूमि को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय करके कब्जा सूपूर्द किया है। खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 11 की चली आ रही है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ नही है । प्रार्थी का वादगत खेतों में कोई कब्जा काश्त नही हैं। प्रार्थी को वादगत खेतों के संबंध में विभाजन करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त व टाईटल नही रहा हैं ऐसे में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेतों में कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जिससे असुविधा व नुकसान अप्रार्थी को होना संभव है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेतों के ऋण को चुकता करने के लिए व परिवार की जायज जरूरतों की पूर्ति के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय की है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि की सदभावी क्रेता है। अप्रार्थी संख्या 1 को ऋण चुकता करने के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने रूपयें चुकता करने से इंकार कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने जायज जरूरतों के लिए अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि विक्रय की हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के हिस्सा की भूमि विक्रय नही की है। प्रार्थी ने अपनी जिम्मेवारी निभाने से इंकार कर दिया और अब भूमि ऋणमुक्त होते ही नाजायज हिस्सा की मांग करके यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेतों की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं इसलिए ना तो प्रार्थी को वादाधार प्राप्त है ना ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी ने तथ्यगत मिथ्या वर्णन करके प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खिलाफ कानून होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वादगत खेतों में किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होती है। प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से गलत अनुतोष प्राप्त करना चाहता हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

जिसका प्रार्थी अधिकारी नही है। प्रार्थी का वादगत खेतों में ना तो कब्जा हैं ना ही चाहा गया हक हिस्सा हैं इसलिए प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नही बनता है। यदि प्रार्थी अपने गलत मंशुबों में सफल हो गया तो अप्रार्थी को भारी असुविधा होगी व अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेतों की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेतों का ऋण चुकता करने के लिए व अपने परिवार की जायज जरूरतों के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से 3219/3500 हिस्सा भूमि दिनांक 10.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 11 को विक्रय की थी एवं उसी समय बिक्रीत भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 11 को संभला दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हम चार पुत्र संतान ओमप्रकाश, केशुराम, मेघाराम, हड़मान व तीन पुत्री संतान परमेश्वरी, मोहनी, गीता पैदा हुई है। मुझ अप्रार्थी के भाई केशुराम, मेघाराम, हड़मान आपस में मिले हुए हैं जिन्होने वादगत खेतों के ऋण को चुकता करने से भी इंकार कर दिया था ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेतों में से कुछ भूमि विक्रय करके शेष भूमि को निलाम होने से बचाया है। सहदायिकी कानून के अनुसार भी प्रार्थी का 1/4 हिस्सा नही बनता हैं। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी से सहदायिकी हिस्सा की मांग नही की हैं। अगर प्रार्थी का कोई हिस्सा बनता भी हैं तो वह वादगत खेत खसरा नम्बर 370 में प्राप्त कर सकता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के हिस्सा की भूमि विक्रय नही की है। प्रार्थी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के नाजायज हक हिस्सा के अनुतोष की मांग की हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 11 वादगत खेतों के रिकार्डेड काबिज काश्तकार एवं True Owner हैं। कानूनन प्रार्थी को True Owner के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। प्रार्थी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के नाजायज हिस्सा की मांग की हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र Barred By Law हैं एवं Cause Of Action प्राप्त नही होने से प्रार्थी का दावा व प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 C.P.C. के प्रावधानो के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।।

अप्रार्थीगण संख्या 11 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 11 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के परिवार की सदस्य नही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की भूमि नही हैं। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 11 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 11 का अपने हिस्से की भूमि पर निरंतर कब्जा चला आ रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 का कोई विभाजन नही किया हुआ हैं ना ही कोई हिस्सा पांति प्रार्थी को मिला हुआ है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 319/3500 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 11 के खातेदारी हक हिस्सा की भूमि हैं जिसका विभाजन करवाने का अधिकार प्रार्थी को नही हैं। प्रार्थी का ना तो वादगत खेत खसरा नम्बर 170 पर किसी प्रकार का कब्जा हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ना ही प्रार्थी ने वादगत खेत में किसी प्रकार का सुधार कार्य करवा रखा है। प्रार्थी ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 11 से किसी प्रकार की कोई बातचीत नही की ना ही दिनांक 11.06.2025 को प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 11 से मिला है। प्रार्थी को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 के संबंध में घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं। प्रार्थी ने घोषणा विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा अनुतोष का प्रार्थना पत्र पेश करने का कथन किया हैं जबकि कानूनन घोषणा विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है।प्रार्थी दिनांक 11.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 11 से मिला ही नहीं हैं ऐसे में अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा इंकार करने व धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं ऐसे में प्रार्थी को वादगत खेत से बेदखल कर देने की धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थी ने वादरचना करने के आशय से मनघड़ंत तथ्यों का वर्णन किया है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 11 के विरूद्ध ना तो वादाधार प्राप्त हैं ना ही वादहेतू प्राप्त है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 पर प्रार्थी का ना तो कब्जा काश्त हैं ना ही प्रार्थी का कोई हक हिस्सा खेत खसरा नम्बर 170 में बनता है। दिनांक 11.06.2025 को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को प्राप्त ही नही थे ऐसे में विक्रय हस्तांतरण करने की धमकी देने का प्रश्न ही पेदा नही होता है। दिनांक 10.06.2025 से वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 की कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 11 के विरूद्ध किसी प्रकार से कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नही है। प्रार्थी का वादगत खेत में कोई कब्जा काश्त नही हैं । प्रार्थी को वादगत खेत के संबंध में विभाजन करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं ना ही कोई कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त व टाईटल नही रहा हैं ऐसे में बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का वादगत खेत खसरा नम्बर 170 पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 11 को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं इसलिए अप्रार्थी संख्या 11 को असुविधा हो रही हैं एवं प्रार्थी द्वारा गलत अनुतोष की मांग करने से अप्रार्थी संख्या 11 को अहम नुकसान होना संभव है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की भूमि पर लिये हुए ऋण को चुकता करने के लिए रूपयों की आवश्यकता थी तब अप्रार्थी संख्या 11 ने वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि उचित प्रतिफल राशि अदा करके व वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जांच करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 10.06.2025 को खरीद की है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि की सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा [illegible] नही किया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 11 को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 10.06.2025 से वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की 3219/3500 हिस्सा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 11 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही हैं इसलिए ना तो प्रार्थी को वादाधार प्राप्त हैं ना ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रार्थी का वादगत खेत खसरा नम्बर 170 पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कब्जा छुड़ाने की धमकियां देने का प्रश्न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पैदा नही होती है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 11 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। प्रार्थी का दावा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से गलत अनुतोष प्राप्त करना चाहता हैं जिसका प्रार्थी अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा 170 के 3219/3500 हिस्सा की रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार है। प्रार्थी का वादगत खेत में ना तो कब्जा हैं ना ही कोई हक हिस्सा हैं इसलिए प्राथी का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 के 3219/3500 हिस्सा की रिकार्डेड काबिज खातेदार हैं यदि प्रार्थी अपने गलत मंशुबों में सफल हो गया तो अप्रार्थी संख्या 11 को भारी असुविधा होगी व अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर रोही ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से 3219/3500 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 11 ने अप्रार्थी संख्या 1 से उचित प्रतिफल राशि अदा करके व राजस्व रिकार्ड की जांच करके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद की है। वादगत भूमि खरीद करने की दिनांक से अप्रार्थी संख्या 11 का अपने हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा खरीद की गयी भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 11 के नाम दर्ज कर दिया गया हैं एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 11 का नाम दर्ज चला आ रहा है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं जो आपस में मिलकर प्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से वाग्छलपूर्ण प्लीडींग्स करके न्यायालय से सही तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं । अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की रिकार्डेड संयुक्त काबिज काश्तकार हैं जिसके विरूद्ध प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 11 को अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया परन्तु जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित उक्त विक्रय पत्र का स्पष्ट वर्णन प्रार्थना पत्र में नही किया हैं। अप्रार्थी संख्या 11 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खातेदारी प्राप्त हुई है जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई स्पष्ट अनुतोष नही चाहा गया हैं। अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित नही किया गया हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज के संबंध में सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 की रिकार्डेड संयुक्त काबिज काश्तकार है । अप्रार्थी संख्या 11 वादगत खेत खसरा नम्बर 170 के 3219/3500 हिस्सा भूमि की True Owner हैं। कानूनन प्रार्थी को करने का True Owner के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अधिकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र Barred By Law है। प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध Cause Of Action प्राप्त नही हैं इसलिए प्रार्थी का दावा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 C.P.C. के प्रावधानो के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 11 को वादगत खेत खसरा नम्बर 170 में से 3219/3500 हिस्सा भूमि विक्रय करने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 ने आपस में मिलकर अप्रार्थी संख्या 11 को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वादगत खेत खसरा नम्बर 170 में से पूर्व में भी भूमि विक्रय की गयी थी परन्तू उस समय प्रार्थी द्वारा वादगत भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गयी थी ना ही हस्तगत दावा व प्रार्थना पत्र में पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

में बिक्रीत भूमि के संबंध में कोई अनुतोष चाहा गया हैं । इससे भी स्पष्ट हैं कि प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण आपस में मिले हुए हैं । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुर्भिसंधि करके गलत आधारों पर पेश किया गया हैं जो खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में से खेत खसरा नम्बर 170 की भूमि का 3219/3500 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दावा दायरी से पूर्व ही कर दिया गया है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 11 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 11 सद्भावी क्रेता है जिसने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि क्रय की है। अप्रार्थी संख्या 11 अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज एवं रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी का तर्क है कि भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थी का भी हिस्सा कानूनन बनता है। जिसका निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 5 ने अपने जवाब प्रार्थना में यह अंकित किया है कि यदि प्रार्थी का हिस्सा प्रमाणित होता है तो वह विक्रय पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खेत खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि में से प्राप्त कर सकता हैं। जिसका रकबा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के रकबे से अधिक है एवं प्रार्थी के हक हिस्से की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। जिसे सुरक्षित रखा जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक है। यदि इस भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है एवं दौराने वाद शेष खेत खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर रोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ की भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष खेत खसरा नम्बर 370 की भूमि तक सिद्ध होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 151 सी.पी.सी. आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 170 तादादी 3.1500 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ को पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से मुक्त किया जाता है एवं खेत खसरा नम्बर 370 तादादी 2.7000 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ में तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)